



2026:AHC:174367

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 16347/2026

मोहम्मद इश्तियाक उर्फ राजू तथा 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: पंकज कुमार गुप्ता, संजय कौशिक

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, प्रशांत कुमार, शीबा रहमान

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

संदर्भ: आपराधिक प्रकीर्ण संशोधन आवेदन शून्य/2026।

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर संशोधन आवेदन अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने पर, संशोधन आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
4. उसे आज के दिन के दौरान समाविष्ट किया जाए।

धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन पर आदेश

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकगण द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि यह आवेदन स्वीकार किया जाए तथा आपराधिक वाद संख्या 6480/2023 (राज्य बनाम इशित्याक तथा अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 717/2019 से उद्भूत, भा.द.सं. की धारा 286, 323, 427 के अंतर्गत (थाना-नैनी, जिला-प्रयागराज), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 15, प्रयागराज के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियों को, आरोप-पत्र सहित तथा उक्त वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित संज्ञान एवं समन आदेश सहित, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर खारिज किया जाए।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकार समझौते के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौते का सम्यक् सत्यापन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 15, प्रयागराज द्वारा दिनांक 07.05.2026 को किया गया है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान विवाद आवेदकगण और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत मनमुटाब से उद्भूत होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 संबंधित न्यायालय में लंबित वाद को बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है और, अतः, आक्षेपित कार्यवाहियों को पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर खारिज किया जाए तथा वे प्रतिशपथ-पत्र और प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हैं तथा कहते हैं कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही खारिज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** में अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि *“किंतु जो आपराधिक वाद अत्यधिक और प्रमुखतः सिविल स्वरूप के हैं, वे अभिखंडन के प्रयोजनों के लिए भिन्न आधार पर खड़े हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक वादों से उद्भूत अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां क्षति मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के वादों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण है तथा आपराधिक वाद की निरंतरता अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डालेगी तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण परिनिर्धारण एवं समझौते के होते हुए भी आपराधिक वाद को खारिज न करने से उसके साथ नितांत अन्याय होगा।”

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 में अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर प्रतिपादित किए हैं कि “अशमनीय वादों में भी, समझौते के आधार पर, आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज किया जा सकता है, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और अन्य सारवान् वादों में उपयोग किया जा सके।”

9. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों के अवलोकन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि से, वर्तमान वाद न्यायालय द्वारा समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज करने की शक्ति के प्रयोग हेतु एक उचित वाद है।

10. विवाद पूर्णतः व्यक्तिगत मनमुटाव का प्रतीत होता है जो पक्षकारों के मध्य उनकी संपूर्ण संतुष्टि तक परस्पर समझौता हो गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

11. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर खारिज करने हेतु वर्तमान आवेदन उन प्राचलों के भीतर आता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 में प्रतिपादित किए गए हैं।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मुकदमा अपराध संख्या 717/2019, भा.द.सं. की धारा 286, 323, 427 के अंतर्गत (थाना-नैनी, जिला-प्रयागराज) से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 6480/2023 (राज्य बनाम इशितयाक तथा अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियां एतद्वारा निरस्त की जाती हैं।

14. वर्तमान आवेदन, तदनुसार, स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 अगस्त, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।